



प्रेस विज्ञप्ति

11/12/2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 29.11.2025 को माननीय विशेष न्यायालय (पीएमएलए), इंदौर के समक्ष "शराब फर्जी चालान घोटाला" केस में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अभियोजन शिकायत (पीसी) दायर किया है। माननीय न्यायालय ने 11.12.2025 को पीसी का संज्ञान लिया है।

इंदौर के रावजी पुलिस स्टेशन द्वारा विभिन्न शराब ठेकेदारों के खिलाफ सरकारी चालानों में जालसाजी और हेरफेर करके सरकारी राजस्व को नुकसान पहुंचाने के आरोप में दर्ज एफआईआर के आधार पर ईडी ने जांच शुरू की।

अभियुक्त व्यक्ति छोटी-छोटी रकमों के चालान तैयार करके बैंक में जमा करते थे। चालान के निर्धारित प्रारूप में "अंकों में रुपये" और "शब्दों में रुपये" लिखे होते थे। राशि अंकों में भरी गई थी; हालाँकि, "शब्दों में रुपये" लिखने के लिए खाली जगह छोड़ी गई थी। राशि जमा करने के बाद, जमाकर्ता बाद में "अंकों में रुपये" लिखी राशि में हेरफेर करता और बड़ी हुई राशि को "शब्दों में रुपये" वाली खाली जगह में भर देता, और इस तरह बढ़ाई गई राशि के हेरफेर किए गए चालानों की प्रतियां संबंधित देसी शराब गोदाम या विदेशी शराब के मामले में जिला उत्पाद शुल्क कार्यालय में जमा कर दी जातीं। इसे देसी शराब के गोदाम या इंदौर के जिला उत्पाद शुल्क कार्यालय में अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करके और शराब शुल्क/मूल लाइसेंस शुल्क/न्यूनतम गारंटी के रूप में राशि जमा करके एनओसी प्राप्त की जाती थी। इस प्रकार, कम शुल्क अदा करने के बावजूद अधिक शराब का भंडार जमा किया जाता था, जिससे राज्य के खजाने को नुकसान होता था।

पीएमएलए जांच से यह साबित हुआ कि राजू दशवंत, अंश त्रिवेदी और अन्य शराब ठेकेदार संयुक्त रूप से जालसाजी, धोखाधड़ी और आपराधिक साजिश के अनुसूचित अपराधों से प्राप्त 49 करोड़ रुपये से अधिक की अपराध की आय (पीओसी) से जुड़े विभिन्न प्रक्रियाओं और गतिविधियों में शामिल थे। इससे पहले, ईडी ने इस मामले में मुख्य आरोपी राजू दशवंत और अंश त्रिवेदी को गिरफ्तार किया था। वे फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।

जांच के दौरान, ईडी इंदौर उप आंचलिक कार्यालय ने 28.11.2025 को एक अस्थायी कुर्की आदेश जारी किया था, जिसमें 21.18 करोड़ रुपये मूल्य की 28 अचल संपत्तियों (पीओसी) को कुर्क किया गया था। इन संपत्तियों का वर्तमान बाजार मूल्य 70 करोड़ रुपये से अधिक है।

आगे की जांच प्रक्रियाधीन है।